भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1069

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में दूध में मिलावट के कारण होने वाली मौतें

1069 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में दूध में मिलावट के कारण 7 लोगों की मौत के बारे में जानकारी है;
(ख) क्या सरकार ने दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए गए पदार्थों का पता लगाया है;
(ग) क्या दूध में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया था, जिससे कथित तौर पर कई लोगों की मौत हुई;
(घ) क्या यह सच है कि 2014-15 में इसके 25 मामले और 2015-16 में 22 मामले सामने आए थे;
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार ने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और क्या सरकार दूध में मिलावट से मरने वालों के परिजनों को मुआवज़ा देने पर विचार करेगी; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात का विनियमन करने के लिए अधिदेशित है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में दुग्ध सेवन पश्चात कई व्यक्ति बीमार पड़ गए, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। जांच के निष्कर्षों के अनुसार, यह घटना दुग्ध भंडारण हेतु प्रयुक्त रेफ्रिजरेटर की

शीतलन पाइप से मोनो एथिलीन ग्लाइकोल रसायन के रिसाव के कारण हुई, जिससे संग्रहित दूध संदूषित हो गया। इस संबंध में दुग्ध विक्रेता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की संगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज आपराधिक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में मानकों के अनुरूप न पाए गए दूध के नमूनों से संबंधित वर्ष 2024-25 में 34 तथा वर्ष 2025-26 में 36 मामले दर्ज किए गए।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें अनुग्रह राशि के रूप में लगभग 1.60 करोड़ रुपये तथा चिकित्सा व्यय एवं अन्य सहायता के लिए 15,30,941 रुपये प्रदान किए गए हैं।

*****